[2021] 3 एस. सी. आर 26

केरल और ए. एन. आर. की सरकार।

वी.

मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन

(2012 की सिविल अपील संख्या 202)

1 मार्च, 2021

[आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

केरल भवन कर अधिनियम, 1975 - धारा 3 (1) (बी)-भवन कर से छूट-राज्य का दावा है कि भवन कर से कोई छूट नहीं है।

ननों, पुजारियों के लिए आवासीय आवास या छात्रों के लिए छात्रावास आवास की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इनका धार्मिक/शैक्षिक गतिविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है-यह तर्क दिया गया था कि यह मानते हुए कि इसमें अस्पष्टता है। 3 (1) (ख) जिसमें धार्मिक/शैक्षिक गतिविधि से जुड़े उद्देश्य को शामिल किया जा सकता है, फिर भी अस्पष्टता को राज्य के पक्ष में हल किया जाना चाहिए-आयोजित: एस का एक पठन। 3 (1) (ख) यह बताएगा कि जिन भवनों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, उन्हें छूट देने का उद्देश्य मुख्य धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षिक गतिविधि के साथ-साथ सीधे धार्मिक गतिविधि से जुड़े उद्देश्यों के लिए होगा।

केवल कॉन्वेंट ताकि वे वहां धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, या यदि छात्र उस स्कूल या कॉलेज के पास एक छात्रावास में रह रहे हैं जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे निवास का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि निवास है जो धार्मिक या शैक्षिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है-एक छूट।

यदि ऐसा प्रावधान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए है या अन्यथा इसके पीछे कोई लाभकारी कारण है तो प्रावधान को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुसार उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए-पहले यह पूछना चाहिए कि प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य क्या है, और ऐसे उद्देश्य के अनुसार क़ानून का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

और इस धारणा पर कि इस तरह में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है

निर्माण, ऐसी अस्पष्टता उस चीज़ के पक्ष में होनी चाहिए जिसे छूट दी गई है-इसलिए, विचाराधीन इमारतों को भवन कर से छूट दी गई है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. प्रावधान को पढ़ने से पता चलेगा कि उन इमारतों को छूट देने का उद्देश्य जिनका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है

धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षिक उद्देश्य मुख्य धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षिक गतिविधि के साथ-साथ उद्देश्यों के लिए होंगे।

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी इमारत को किराए पर देने से धार्मिक गतिविधि के साथ कोई तर्कसंगत संबंध समाप्त हो जाएगा। धार्मिक गतिविधि के साथ अप्रत्यक्ष संबंध लाभ है जो धार्मिक गतिविधि में वापस जुताई जाती है, स्पष्ट रूप से ऐसी इमारत को छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी ओर, नन केवल एक कॉन्वेंट के लिए पड़ोसी इमारत में रह रही हैं ताकि वे वहां धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, या यदि छात्र उस स्कूल या कॉलेज के पास एक छात्रावास में रह रहे हैं जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है। निर्देश, यह स्पष्ट है कि ऐसे निवास का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि ऐसा निवास है जो धार्मिक या शैक्षिक गतिविधि से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। [पैरा 12] [40-ई-एच; 41-ए-बी]

धारा 2 (1) में "भवन" से अलग। "आवासीय भवन" से कोई इमारत या कोई अन्य संरचना या उसका निर्मित हिस्सा अभिप्रेत है। विशेष रूप से आवासीय उद्देश्य के लिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "आवासीय भवन" छूट का विषय नहीं है।

अधिनियम की धारा 3 के तहत। इसके बिल्कुल विपरीत अधिनियम की धारा 5 ए में पाया जाता है, जो एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होता है, और जिसमें कहा गया है कि 278.7 वर्ग मीटर के आधार क्षेत्र वाले सभी आवासीय भवनों पर एक विलासिता कर लगाया जाना है और जिन्हें 1.4.1999 पर या उसके बाद पूरा किया गया है। यदि राज्य के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो जिन भवनों में ननों को रखा जाता है और छात्रों को छात्रावासों में रखा जाता है, जो [2021] 3 एस. सी. आर. हैं।

अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) में निहित छूट का दायरा। [पैरा 13] [41-सी-एफ] 3. इस मामले में, यह स्पष्ट है कि धारा 3 (1) (बी) में निहित छूट का लाभकारी उद्देश्य होना चाहिए

इन मामलों के तथ्यों पर लागू होने वाली प्राधिकरण की रेखा को पूर्ण प्रभाव दिया गया है, जो प्राधिकरण की रेखा है जो आम तौर पर कर कानूनों में छूट के विपरीत लाभकारी छूट से संबंधित है। यह मामला होने के कारण, क़ानून की एक शाब्दिक औपचारिक व्याख्या को छोड़ दिया जाना चाहिए। सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य क्या है, और ऐसे उद्देश्य के अनुसार क़ानून का अर्थ निकालना चाहिए। और इस धारणा पर कि इस तरह के निर्माण में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, ऐसी अस्पष्टता उस के पक्ष में होनी चाहिए जिसे छूट दी गई है। नतीजतन, यह न्यायालय खंड पीठ और पूर्ण पीठ के विवादित निर्णयों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सहमत है कि -

विचाराधीन भवनों को भवन कर से छूट दी जानी चाहिए। [पैरा 24] [48-एच; 49-ए-सी]

भारत संघ बनाम। वुड पेपर्स लिमिटेड (1990) 4 एस. सी. सी. 256: [1990] 2 एससीआर 659; सीएसटी बनाम। अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड (2009) 8 एस. सी. सी. 209 [2009] 11 एस. सी. आर. 953; कम. सीमा शुल्क (निवारक) v. एम. अंबालाल एंड कंपनी (2011) 2 एससीसी 74: [2010] 15 एससीआर 937; सीएसटी बनाम। औद्योगिक कोयला उद्यम (1999) 2 एससीसी 607: [1999] 1 एस. सी. आर. 871; झारखंड राज्य बनाम। टाटा कमिंस लिमिटेड (2006) 4 एस. सी. सी. 57 [2006] 3 एस. सी. आर. 443; पांडिचेरी स्टेट कॉप। उपभोक्ता संघ लिमिटेड बनाम। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी

(2008) 1 एससीसी 206: [2007] 11 एस. सी. आर. 1118-निर्भर।

स्टार इंडस्ट्रीज बनाम। कॉम. सीमा शुल्क (आयात) (2016) 2 एससीसी 362: [2015] 11 एससीआर 570; सीसीई बनाम। पसंदीदा उद्योग (2012) 7 एस. सी. सी. 153; कॉम. सीमा शुल्क बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018)

केरल और ए. एन. आर. की सरकार। वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन

9 एस. सी. सी. 1 [2018] 7 एस. सी. आर. 1191; सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम।

सीमा शुल्क कलेक्टर 1997 (6) एस. सी. सी. 564: [1997] 1 पूरक। एससीआर 434; क्विन बनाम। लीथम (1901) ए. सी. 495; उड़ीसा राज्य

वी. सुधांशु शेखर मिश्रा [1968] 2 एससीआर 154; राज्य

गुजरात बनाम. जीनाभाई रणछोड़जी दर्जी (1972) 1 एस. सी. सी. 233:

[1972] 2 एस. सी. आर. 686; बिशंबर दास कोहली बनाम। सत्य भल्ला

(1993) 1 एससीसी 566 [1993] 1 एससीआर 171; डचूरोफ्लेक्स कॉयर

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सी. एस. टी. (1993) पूरक 1 एस. सी. सी. 568

कर्नाटक बनाम. जी. सीनप्पा (1993) पूरक 1 एससीसी 648; बोनाम सत्यवती वी. अडाला राघवुलु (1994) पूरक 2 एस. सी. सी. 556

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1990] 2 एससीआर 659

उस पर भरोसा करें

पैरा

14

[2015] 11 एससीआर 570

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[1999] 1 एससीआर 871

उस पर भरोसा करें

पैरा

16

[2006] 3 एससीआर 443

उस पर भरोसा करें

पैरा

17

[2007] 11 एससीआर 1118

उस पर भरोसा करें

पैरा

18

[2009] 11 एससीआर 953

उस पर भरोसा करें

पैरा

19

[2010] 15 एससीआर 937

पैरा

20

उस पर भरोसा करें

(2012) 7 एससीसी 153

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[2018] 7 एससीआर 1191

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1997] 1 पूरक। एससीआर 434

पैरा

22

संदर्भित किया गया है

(1901) एसी 495

उस पर भरोसा करें

पैरा

23

[1968] 2 एससीआर 154

पैरा

23

संदर्भित किया गया है

[1972] 2 एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1993] 1 एससीआर 171

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

(1993) पूरक 1 एस. सी. सी. 568

पैरा

25

संदर्भित किया गया है

(1993) पूरक 1 एस. सी. सी. 648

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

(1994) पूरक 2 एस. सी. सी. 556

संदर्भित किया गया है

25 [2021] 3 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 202

2012 .

2006 (बी) के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 27108 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 22.11.2007 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील सं। 6589 2015 का 10298,2016 का 10297,2016 का 10881,2012 का 203,2012 का 204,2012 का 206,2012 का 205,2021 का 745,2015 का 5036,2014 का 8351,2021 का 746,2021 का 747,2014 का 8352,2015 का 4445,2015 का 4446,2015 का 4447,2016 का 7368।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. के. सासी, अतुल शंकर विनोद, एम. पी.

विनोद, कृष्णमोहन के. मेनन, सुश्री डेनिया नय्यर, पवनश्री अग्रवाल, राधा श्याम जेना, पी. ए. नूर मुहम्मद, सुश्री गिफारा एस., बिलाल नियामातुल्ला, सुश्री रुक्साना पी. एन., रामेश्वर प्रसाद गोयल, ए. वेनायगम बालन, साजिथ। पी, टी. जी. नारायणन नायर, रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, अखिल रॉय, हिमिंदर लाल, निशे राजन शोंकर, सुश्री लिज़ मैथ्यू, ए. एम. पट्टियानी, सुश्री मंजू पट्टियानी, सुश्री अक्षरा पट्टियानी, जोस अब्राहम, श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, जी. प्रकाश, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये सभी अपीलें केरल भवन कर अधिनियम, 1975 में निहित छूट प्रावधान से संबंधित हैं। धारा 3 (1) (बी) के तहत जिन भवनों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए या कारखानों या कार्यशालाओं के रूप में किया जाता है, उन्हें अधिनियम के तहत भवन कर से छूट दी गई है। एक को छोड़कर सभी अपीलें केरल राज्य द्वारा केरल की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ की गई हैं।

केरल सरकार में उच्च न्यायालय और ए. एन. आर बनाम मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट (2012 की सिविल अपील No.202) और केरल राज्य और अन्य बनाम में एक पूर्ण पीठ का निर्णय। यूनिटी हॉस्पिटल (पी) लिमिटेड (2012 की सिविल अपील संख्या 207), दिनांकित 21.12.2010 का

निर्णय है। दोनों निर्णयों ने विचाराधीन इमारतों को छूट देने का फैसला किया। राज्य की अन्य अपीलों में शामिल हैं -

ऐसे निर्णय जो इनमें से किसी एक या दोनों निर्णयों का पालन करते हैं। एक निर्धारिती द्वारा एकमात्र अपील, प्रशासक, जोस गिरी अस्पताल बनाम। केरल सरकार (2012 की सिविल अपील No.204), केरल और ए. एन. आर. सरकार के एक फैसले से है।

केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मामले का फैसला किया राज्य का हित। हालांकि, इस फैसले को पूर्ण पीठ को भेजा गया था जिसने केरल राज्य और अन्य बनाम मामले में फैसला सुनाया था। यूनिटी हॉस्पिटल (पी) लिमिटेड (2012 की सिविल अपील सं. 207) और गलत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कहा गया है।

3. तथ्यों पर, हमारे सामने अधिकांश मामलों में समानता है। या तो पहली अपील की तरह ननों के लिए आवासीय आवास हैं।

हमारे सामने या वहाँ छात्रावास हैं जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामलों में, राज्य का दावा है कि ननों के लिए आवासीय आवास के रूप में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और छात्रों के लिए छात्रावास धार्मिक या शैक्षिक उद्देश्यों के अलावा आवासीय उद्देश्यों के लिए होंगे और इसलिए अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) में निहित छूट के दायरे में नहीं आएंगे।

4. हम 2012 की सिविल अपील No.202 में तथ्यों को ले सकते हैं। इस मामले में, दिनांक 14.03.2002 के आकलन के आदेश द्वारा, धार्मिक अनुष्ठान करने वाली ननों के लिए आवासीय आवास पर भवन कर लगाया गया था।

कॉन्वेंट में नन बनने का प्रशिक्षण। कर के लिए उपरोक्त निर्धारण के खिलाफ, प्रत्यर्थी ने 2002 का ओ. पी. No.11246 दायर किया और उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और दिनांक 29.5.2002 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया और तहसीलदार को अपने निर्णय के लिए मामले को सरकार को भेजने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी द्वारा 10.2.2004 पर सरकार को एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें कहा गया था:

" 2. वर्तमान में हम यहां रहने वाली 8 बहनें विंजन माता चर्च, पूर्वी थोड़ुपुड़ा और चर्च के आसपास के लोगों की धार्मिक और धर्मार्थ जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्त हैं।

जाति, पंथ और समुदाय के बावजूद।

XXX XXX XXX

बहनें बनने के लिए, हमने 8 साल की कठोर धार्मिक शिक्षा और प्रशिक्षण लिया था और फिर जीवन भर एक सन्यासी का जीवन जीने का फैसला किया।

XXX XXX XXX

8. आज्ञाकारिता की शपथ का उद्देश्य अलग-अलग बहनों का उपयोग उनकी निर्वाचित श्रेष्ठ बहनों द्वारा करना है, जहां उनकी सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसका मतलब है, हम वर्तमान में इस कॉन्वेंट से जुड़ी बहनें यहां स्थायी सदस्य नहीं हैं।

अलग-अलग स्थानों से आते हैं, और हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारी सुपीरियर काउंसिल तय करती है।

9. इतना ही नहीं, कॉन्वेंट इलाके की धार्मिक और धर्मार्थ जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां एक स्थायी स्थापना है, जबकि सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उचित अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

XXX XXX XXX

11. कॉन्वेंट की स्थापना सिस्टर्स ऑफ सिस्टर्स की मण्डली के सेंट मैरी प्रांत के परिषद के निर्णय द्वारा की गई थी।

पवित्र संस्कार की आराधना।

12. इस इमारत का उद्देश्य उन कनिष्ठ बहनों को समायोजित करना भी है जो पास के न्यूमैन कॉलेज-थोडुपुड़ा में अपनी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार, वर्तमान में 8 छात्र-बहनें भी यहाँ रह रही हैं।

13. यह इमारत दो मंजिला है और इसका माप लगभग 5000 वर्ग मीटर है। फीट। भूतल पर एक प्रार्थना कक्ष, रसोईघर, भोजनालय, अध्ययन कक्ष और बहनों के लिए छोटे कमरे हैं। ऊपरी मंजिल में बहनों के लिए 5 कमरे, एक शयनकक्ष और अध्ययन कक्ष हैं।

14. यह भवन किसी भी समय राशि के लिए नहीं दिया जाता है और भविष्य में भी ऐसा नहीं दिया जाएगा। इसका उपयोग केवल एक धार्मिक घर के रूप में किया जाएगा।

5. इस अभ्यावेदन को सरकार के आदेश 11.09.2006 द्वारा निम्नानुसार अस्वीकार कर दिया गया था:

" सरकार ने इस मामले की विस्तार से जांच की है। याचिकाकर्ता को 16.9.2004 पर सुना गया और उसने दावा किया कि इमारत है विशेष रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में लगी ननों को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इमारत का कोई हिस्सा नहीं है

किराए पर दिया या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। अभिलेखों के अवलोकन पर सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज बन गए हैं

यह स्पष्ट है कि कॉन्वेंट का उपयोग मुख्य रूप से किसी भी धार्मिक या धार्मिक कार्य के लिए नहीं किया जाता है

धर्मार्थ उद्देश्य। जिला कलेक्टर, इडुक्की ने उपरोक्त चौथे पत्र के रूप में पढ़े गए पत्र के अनुसार यह भी सूचित किया है कि कॉन्वेंट में कोई धर्मार्थ गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं और इमारत का उपयोग ननों के आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाता है।

केरल और ए. एन. आर. की XXX XXX XXX वीं वर्षगांठ। वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसमें ऐसे अनुष्ठान, समारोह और कार्य शामिल हैं जो किसी विशेष धर्म के सदस्यों द्वारा पारंपरिक रूप से किए जा रहे हैं। यदि किसी इमारत के प्रमुख हिस्से का मुख्य उपयोग उपरोक्त के लिए किया जाता है तो उस इमारत का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। उद्देश्य।

XXX XXX XXX

उपरोक्त परिस्थितियों में, सरकारी आदेश है कि सर्वेक्षण संख्या 206 थोडुपुझा गाँव, थोडुपुझा तालुक में इमारत जिसका आधार क्षेत्र 903.24 M2 है, जिसका स्वामित्व एडोरेशन कॉन्वेंट, शांति भवन, थोडुपुझा के पास है, केरल भवन कर अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत छूट के लिए पात्र नहीं है। "

6. एक रिट याचिका 2006 की रिट याचिका No.27108 है जिसे एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उक्त आदेश के तहत दायर किया गया था, जिन्होंने तब एक खंड पीठ को संदर्भित किया क्योंकि वह केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अर्जित पहले के फैसले से सहमत नहीं थे। असंतुष्ट द्वारा

केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांकित 22.11.2007

इस प्रकार है:

" 8. यदि कॉन्वेंट में चल रही गतिविधियाँ हैं

मुख्य रूप से धार्मिक, तो, आम तौर पर, उक्त उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कॉन्वेंट की इमारतें भी छूट के लिए योग्य होनी चाहिए। बेशक, अगर किसी विशेष इमारत का उपयोग किसी वाणिज्यिक कार्य के लिए किया जाता है।

गतिविधि, ऐसी इमारतों को अलग किया जा सकता है। यह विवाद में नहीं है कि एक चैपल का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके साथ, पादरी के आराम करने आदि के लिए एक कमरा हो सकता है। क्या उस कमरे को अलग किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। हमें लगता है कि जवाब नकारात्मक होना चाहिए। यदि कॉन्वेंट की इमारतों का उपयोग आम तौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और उनमें से एक इमारत का उपयोग वहां एक कैदी के निवास के लिए किया जाता है, तो इसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन के रूप में भी माना जाएगा। इसके विपरीत कोई भी व्याख्या तर्कहीन होगी। इसलिए हमारा मानना है कि कॉन्वेंट में ननों के निवास के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसलिए, छूट के लिए भी योग्य होना चाहिए। हम रिट याचिका (सी) No.27250/06 में सी. एन. रामचंद्रन नायर, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। W.A.2424/05 में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से संबंधित है।

21] 3 एस सी आर।

एक कॉन्वेंट द्वारा संचालित छात्रों के लिए एक बोर्डिंग और लॉजिंग हाउस का मामला जहां कमरों को शुल्क वसूलने के लिए किराए पर दिया जाता है। अगर कॉन्वेंट चल रहा है

एक वाणिज्यिक या औद्योगिक इकाई, भवन आवास जो

प्रतिष्ठान छूट के लिए योग्य नहीं होगा। यह सिद्धांत कॉन्वेंट में ननों को समायोजित करने के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। विद्वान सरकारी प्लीडर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने का भी कोई आवेदन नहीं है इस मामले के तथ्यों के लिए। इसमें विचार किया गया मुद्दा यह था कि क्या एक स्कूल को समायोजित करने के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत को धर्मार्थ उद्देश्यों या धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत के रूप में माना जा सकता है। उसमें वर्णित सिद्धांत तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

इस मामले में "।

7. 2012 की सिविल अपील No.207 में निहित 2010 का पूर्ण पीठ का निर्णय एक खंड पीठ के संदेह के परिणामस्वरूप था प्रशासक, जोस गिरी अस्पताल बनाम में डिवीजन बेंच के फैसले की शुद्धता। केरल सरकार जो 2012 की सिविल अपील No.204 में निहित है। पूर्ण पीठ के अनुच्छेद 2 और 3 में इस प्रकार प्रश्न उठाया गया:

" 2. यह सवाल उठाया गया है कि क्या किसी शैक्षणिक संस्थान का छात्रावास भवन केरल भवन कर अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) (बी) के तहत भवन कर से छूट का हकदार है। "शैक्षिक उद्देश्यों" के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों के लिए।

3. जबकि रिट अपील No.1648/2009 में शामिल इमारत एक नर्सिंग स्कूल के स्वामित्व वाली एक छात्रावास की इमारत है, रिट अपील No.2495/2009 में शामिल इमारत एक छात्रावास की इमारत है जो एक नर्सिंग स्कूल से जुड़ी है।

एक निजी के स्वामित्व वाला आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

प्रबंधन "। पूर्ण पीठ ने कहा:

" 6. विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है वह यह है कि क्या उपरोक्त खंड में निर्दिष्ट "शैक्षिक उद्देश्यों" का केवल एक प्रतिबंधित अर्थ है जिसमें इमारतें शामिल हैं, जहां छात्र हैं। शिक्षा प्रदान की गई; या क्या इसका व्यापक अर्थ है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के स्वामित्व वाले छात्रावास भवनों को प्रदान करना शामिल है

शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में छात्रों के लिए आवास। इस न्यायालय की खंड पीठ ने उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय में कहा कि "शैक्षिक उद्देश्यों" में केवल केरल और ए. एन. आर. के उद्देश्य शामिल हैं।

वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जिनका शिक्षा से अभिन्न, तत्काल और निकट संबंध है। संदर्भ आदेश में, एक अन्य खंड पीठ, जिसमें हममें से एक सदस्य [सी. एन. आर. (जे.)] है, ने यह विचार व्यक्त किया कि पहले के निर्णय में दूसरी खंड पीठ द्वारा निर्धारित उपरोक्त परीक्षण कम से कम नर्सिंग स्कूलों और चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित छात्रावासों के संबंध में संतुष्ट है और संभवतः गलती केवल उस निर्णय में निकाले गए निष्कर्ष में है। हम जो देखते हैं वह यह है कि खंड पीठ ने मामले का निर्णय लेते समय भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद के शैक्षिक विनियमों पर विचार नहीं किया, जो यह अनिवार्य बनाते हैं कि चिकित्सा महाविद्यालय या नर्सिंग महाविद्यालय के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रोगियों के लिए अस्पताल और छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा अनिवार्य है। राज्य भी इस स्थिति का विरोध नहीं करता है और वास्तव में सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों सहित राज्य में संचालित सभी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों के अपने या उससे जुड़े अस्पताल हैं।

प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए छात्रावास की सुविधा होना अनिवार्य है, और ऐसी सुविधा के बिना किसी भी मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज को भारतीय चिकित्सा परिषद या नर्सिंग परिषद से मंजूरी नहीं मिलेगी, और केवल उनकी मंजूरी पर, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, हमारे विचार में, खंड पीठ द्वारा निर्धारित परीक्षण अर्थात अभिन्न, नर्सिंग स्कूलों और अन्य चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े छात्रावासों के मामलों में शिक्षा के साथ छात्रावास भवन का तत्काल और निकट संबंध पूरी तरह से संतुष्ट है, जिनके लिए छात्रों को उनकी मंजूरी के लिए अनिवार्य छात्रावास सुविधा की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम मानते हैं कि जहां भी चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों के मामले में नियामक निकाय द्वारा पाठ्यक्रम अध्ययन या शैक्षणिक संस्थान की मंजूरी के लिए छात्रावास अनिवार्य है, छात्रावास भवन [2021] 3 एस. सी. आर.

यह शैक्षणिक संस्थान का एक अभिन्न अंग है, और इतना ही नहीं,

छात्रावास भवन में छात्रों को प्रदान किया जाने वाला आवास शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसलिए छात्रावास भवन भवन कर से छूट के लिए योग्य है। उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, हम डिवीजन बेंच द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं, अर्थात नर्सिंग स्कूल से जुड़े छात्रावास भवन को छूट देने से इनकार करना।

7. विचार करने के लिए अगला सवाल यह है कि क्या अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रावास सुविधा, जो छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए शैक्षणिक नियमों के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, एक शैक्षणिक उद्देश्य योग्यता है।

कर छूट के लिए छात्रावास भवन। इस संदर्भ में, हमें अनिवार्य रूप से क़ानून में प्रदान किए गए छूट खंड के उद्देश्य और दायरे पर विचार करना होगा। जबकि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने केरल नगरपालिका अधिनियम की धारा 235 पर भरोसा किया है, जो उसी शैक्षणिक के स्वामित्व वाले छात्रावास भवनों सहित शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों को छूट प्रदान करता है।

विद्वान सरकारी प्लीडर ने दिल्ली नगर निगम बनाम में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1456 में रिपोर्ट किया गया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्कूल भवन दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत नगरपालिका कर से छूट के हकदार नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखने पर, हम देखते हैं कि दिल्ली के तहत संपत्ति कर से छूट का प्रावधान

नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के समान नहीं है

केरल भवन कर अधिनियम, और इतने पर भी, हमारे विचार में, इन मामलों में अपीलार्थियों द्वारा की गई छूट के दावे पर निर्णय लेते समय निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है। यद्यपि धारा 235

केरल नगरपालिका अधिनियम विशेष रूप से समान शैक्षणिक संस्थानों के स्वामित्व वाले छात्रावास भवनों के लिए संपत्ति कर छूट प्रदान करता है, केरल भवन कर अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) में छात्रावास भवनों के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं है। इसलिए, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या धारा 3 (1) (बी) में निर्दिष्ट "शैक्षिक उद्देश्यों" का केवल सीमित अर्थ है या इसका व्यापक अर्थ है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी भवनों को शामिल करता है। छात्र समुदाय की आवश्यकताएँ। इस संदर्भ में, हमें राज्य में शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रावास सुविधा के सामान्य स्वरूप पर विचार करना होगा। हाल के दिनों में, बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान, विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज केरल और ए. एन. आर. के सदस्य हैं।

वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्रीय आवंटन के आधार पर दिए जाते हैं और शायद ही कोई छात्र अपने घर के पास के कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, छात्रों को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए छात्रावास आवास पर निर्भर रहना पड़ता है। महाविद्यालयों को छात्र नहीं मिलेंगे यदि वे महाविद्यालय के पास छात्रों को छात्रावास आवास प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए, छात्रावास भवनों का निर्माण शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों को उनके संस्थानों की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। कई शैक्षणिक संस्थान केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसे छात्रावासों के लिए भवन, बिजली और पानी के कनेक्शन और वास्तव में, छात्र साझा करने के आधार पर गड़बड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य का तर्क है कि शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े छात्रावास हैं

हमारे विचार में, लाभ कमाने के उद्देश्य वाले वाणिज्यिक उद्यम अस्वीकार्य हैं। यह विचार करने के लिए कि क्या किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया छात्रावास शैक्षिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, हमें इसके परिणामों पर विचार करना होगा यदि ऐसे शैक्षणिक संस्थान में अपने छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। जाहिर है, ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को स्थानीय स्तर पर छात्रों को जुटाना पड़ता है, जो केवल स्कूलों के मामले में ही संभव हो सकता है। वास्तव में, राज्य के हजारों स्कूलों और कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा नहीं है क्योंकि वे केवल स्थानीय क्षेत्र के छात्रों पर निर्भर हैं। हालाँकि, जहाँ भी किसी शैक्षणिक संस्थान में राज्य के विभिन्न हिस्सों के छात्र हैं, और अनिवासी भारतीय अपने बच्चों को केरल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वहाँ अनिवार्य रूप से शैक्षणिक संस्थान को छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करनी होती है। वास्तव में, छात्रावास सुविधा के बिना, कई शैक्षणिक संस्थानों में इसे चलाने के लिए आवश्यक संख्या में छात्र नहीं होंगे। इसलिए, हम महसूस करते हैं कि आवास एक आवश्यक सुविधा है, जिसे एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों को प्रदान करने की आवश्यकता है; और जब तक छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य छात्रावास में अध्ययन करना है।

शैक्षणिक संस्थान, ऐसे भवन का उद्देश्य, जिसका उपयोग छात्रों के आवास के लिए किया जाता है, शैक्षिक उद्देश्य के रूप में योग्य है।

XXX

9. इसलिए हमारा विचार है कि इमारतों का स्वामित्व [2021] 3 एस. सी. आर. को छात्रावास आवास प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थान।

छात्र अधिनियम की धारा 3 (1) के खंड (बी) के तहत भवन कर छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। हालांकि छात्रों को समायोजित करने वाले सभी भवन कर छूट के लिए योग्य नहीं हैं क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विभिन्न लोगों द्वारा निर्मित कई लॉज भवन हैं जिनके पास ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को किराए पर देने के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। निजी एजेंसियों द्वारा इमारतों को किराए पर देना एक व्यावसायिक गतिविधि है या नहीं। किरायेदार छात्र हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, ऐसे छात्रावासों में अपने स्वयं के छात्रों को समायोजित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के स्वामित्व वाले छात्रावास भवन ही अधिनियम की धारा 3 (1) के खंड (बी) के तहत छूट के योग्य होंगे।"

8. केरल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने इन निर्णयों की शुद्धता पर हमला किया।

उनके अनुसार, राजकोषीय क़ानून में निहित छूट के प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए और संदेह या अस्पष्टता के मामले में राज्य के पक्ष में समझा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने कई निर्णयों का हवाला दिया। इसके बाद उन्होंने अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) का विश्लेषण किया और तर्क दिया कि मुख्य रूप से धार्मिक या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत केवल एक ऐसी इमारत हो सकती है जिसका उपयोग धार्मिक/शैक्षिक गतिविधि के लिए किया जाता है न कि ऐसी गतिविधि के लिए जिसका धार्मिक/शैक्षिक गतिविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसे कि ननों, पुजारियों या छात्रावास के लिए आवासीय आवास।

छात्रों के लिए आवास। उन्होंने तर्क दिया कि यह मानते हुए भी कि धारा 3 (1) (बी) में अस्पष्टता है, जिसमें धार्मिक/शैक्षिक गतिविधि से जुड़ा एक उद्देश्य शामिल किया जा सकता है, फिर भी अस्पष्टता को राज्य के पक्ष में हल किया जाना चाहिए और ऐसा होने पर, इस छोटे से आधार पर,

यह कि वर्तमान मामले में उन भवनों में कोई धार्मिक/शैक्षिक गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं की जाती हैं जिनमें नन और छात्रावास हैं जिनमें छात्र रहते हैं, ऐसे भवनों में कोई धार्मिक/शैक्षिक गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं। मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, संभवतः अधिनियम के तहत छूट नहीं दी जा सकती है।

9. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने खंड पीठ और पूर्ण पीठ के फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि तथ्यों पर,

लाभकारी कानून जो धार्मिक, धर्मार्थ और शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए है, उसे संकीर्ण तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए, और इसे प्राप्त करने के उद्देश्य, केरल और ए. एन. आर. के अनुसार माना जाना चाहिए।

वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन [आर. एफ. नरीमन, जे.]मामला होने के कारण, उपरोक्त निर्णयों की आवश्यकता नहीं है

बिस्तर।

10. सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने पहले केरल भवन कर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित किया,

" 2. परिभाषाएँ-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

(ङ) "भवन" से एक घर, घर के बाहर, गैरेज, या कोई अन्य संरचना, या उसका हिस्सा, चाहे वह चिनाई, ईंटों, लकड़ी, धातु या अन्य सामग्री का हो, लेकिन इसमें कोई पोर्टेबल आश्रय या मुख्य रूप से मिट्टी, बांस, पत्तों, घास या छप्पर से निर्मित कोई शेड या एक शौचालय शामिल नहीं है जो मुख्य संरचना से जुड़ा नहीं है। (i) "स्वामी" में वह व्यक्ति शामिल है जो कुछ समय के लिए किसी भी भवन का किराया प्राप्त कर रहा है, या प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वह अपने खाते में हो या अपने और दूसरों के कारण या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक एजेंट, ट्रस्टी, अभिभावक या प्राप्तकर्ता के रूप में या जिसे इस तरह से किराया प्राप्त करना चाहिए या उसे प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए यदि भवन या उसका हिस्सा किसी किरायेदार को किराए पर दिया गया था।

3. छूट-(1) इस अधिनियम में कुछ भी लागू नहीं होगा (क) केरल सरकार या भारत सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाली इमारतें; और

5. भवन कर का प्रभार-(1) इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक भवन पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर आधारशिला क्षेत्र के आधार पर एक कर (जिसे इसके बाद "भवन कर" कहा जाएगा) लगाया जाएगा। जो नियत दिन या उसके बाद पूरा किया जाता है।

5 ए. विलासिता कर का प्रभार-[1) किसी भी चीज के बावजूद

इस अधिनियम में निहित, 278.7 वर्ग मीटर के आधार क्षेत्र वाले सभी आवासीय भवनों पर अनुसूची II में निर्दिष्ट दर पर आधार पर वार्षिक रूप से एक विलासिता कर लगाया जाएगा।

1 अप्रैल, 1999 को या उसके बाद पूरा किया गया।

11. हमारे समक्ष जिस मामले की विधि का उल्लेख किया गया है, उस पर आने से पहले पहले धारा 3 (1) (बी) का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जिससे हम सीधे संबंधित हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, विषय वस्तु "इमारतें" हैं जिन्हें परिभाषित किया गया है, जिसमें एक घर या अन्य संरचना शामिल होगी। दूसरा, छूट उपयोगकर्ता पर आधारित है न कि स्वामित्व पर। तीसरा, जो महत्वपूर्ण है वह है "मुख्य रूप से" अभिव्यक्ति, जिससे पता चलता है कि विधायिका

इस छूट को उन इमारतों के लिए देने का निर्णय लिया गया जो "मुख्य रूप से" हैं और विशेष रूप से उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। प्रभावशाली

लाभ के उद्देश्य के बावजूद सेवाओं को भी छूट दी गई है, क्योंकि विधायिका स्पष्ट रूप से कारखानों में उत्पादन और कार्यशालाओं में सेवाओं को बढ़ावा देना चाहती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि "मुख्य रूप से" के लिए उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "के रूप में" अभिव्यक्ति से व्यापक है जो "कारखानों या" शब्दों से पहले आती है। कार्यशालाएँ "।

12. प्रावधान को पढ़ने से पता चलेगा कि जिन भवनों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, उन्हें छूट देने का उद्देश्य मुख्य धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षिक गतिविधि के साथ-साथ सीधे धार्मिक गतिविधि से जुड़े उद्देश्यों के लिए होगा। एक उदाहरण धार्मिक या शैक्षिक गतिविधि से सीधे जुड़े उद्देश्य और ऐसी गतिविधि से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े उद्देश्य के बीच अंतर दिखाने के लिए पर्याप्त होगा। एक मामला लीजिए, जहां 2012 की सिविल अपील संख्या 202 के तथ्यों के विपरीत, नन एक कॉन्वेंट के बगल की इमारत में नहीं रह रही हैं ताकि वे धार्मिक शिक्षा के लिए कॉन्वेंट में जा सकें। एक मामला लें जहां कॉन्वेंट के लिए पड़ोसी इमारत जनता के किसी भी सदस्य को किराए पर दी जाती है, और किराए का उपयोग केवल मुख्य धार्मिक गतिविधि के लिए किया जाता है। क्या यह कहा जा सकता है कि बाजार में किराए पर देना धार्मिक गतिविधि से जुड़ा होगा क्योंकि जो किराया मिलता है उसे केवल धार्मिक गतिविधि में वापस लगाया जाता है? एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एक इमारत को किराए पर देने से केरल और ए. एन. आर. की कोई भी सरकार खो जाएगी।

वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धार्मिक गतिविधि के साथ तर्कसंगत संबंध। धार्मिक गतिविधि के साथ अप्रत्यक्ष संबंध लाभ है जो धार्मिक गतिविधि में वापस जुताई जाती है, स्पष्ट रूप से ऐसी इमारत को छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी ओर, नन किसी कॉन्वेंट के पड़ोसी भवन में केवल इसलिए रह रही हैं ताकि वे वहां धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, या यदि छात्र उस स्कूल या कॉलेज के पास एक छात्रावास में रह रहे हैं जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे निवास का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा निवास है जो धार्मिक या शैक्षिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है।

13. अधिनियम के अन्य प्रावधानों को पढ़ने से उपरोक्त निष्कर्ष मजबूत होता है। आवासीय भवन "को अलग से परिभाषित किया गया है

" धारा 2 (1) में "भवन"। "आवासीय भवन" से ऐसा भवन या कोई अन्य संरचना या उसका हिस्सा अभिप्रेत है जो विशेष रूप से आवासीय उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "आवासीय भवन" अधिनियम की धारा 3 के तहत छूट का विषय नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत अधिनियम की धारा 5ए में पाया जाता है, जो एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होता है, और जिसमें कहा गया है कि 278.7 वर्ग मीटर के आधार क्षेत्र वाले सभी आवासीय भवनों पर एक विलासिता कर लगाया जाना है और जिन्हें 1.4.1999 पर या उसके बाद पूरा किया गया है। यदि हम राज्य के तर्क को स्वीकार करते हैं, तो जिन भवनों में ननों को रखा जाता है और छात्रों को छात्रावासों में रखा जाता है, जो आईडी2 के बाद पूरे हो चुके हैं और जिनका आधार क्षेत्र आईडी1 वर्ग मीटर है, वे विलासिता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे क्योंकि ये भवन अब मुख्य रूप से धार्मिक या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतें नहीं होंगी, बल्कि विशेष रूप से आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आवासीय इमारतें होंगी। यह उस उद्देश्य को बदल देगा जिसे अपने शीर्ष पर ऐसी इमारतों को छूट देने में प्राप्त किया जाना चाहिए। इस कारण से भी, हम राज्य की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जिन भवनों का उपयोग धार्मिक या धार्मिक कार्यों से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

शैक्षणिक गतिविधि अभी भी अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) में निहित छूट के दायरे से बाहर है। अब हम मामले के कानून की जांच कर सकते हैं। 14. भारत संघ में v. वुड पेपर्स लिमिटेड (1990) 4 एस. सी. सी. 256 कर कानूनों में छूट अधिसूचनाओं के बारे में नियम को सम्मानपूर्वक रखा गया था।

इस प्रकार नीचे:

" 4. छूट का हक ऊपर निकाली गई तालिका में उपयोग की जाने वाली "कोई भी कारखाना उत्पादन शुरू कर रहा है" अभिव्यक्ति के निर्माण पर निर्भर करता है। शाब्दिक रूप से छूट दायित्व, कर या शुल्क से मुक्ति है। राजकोषीय रूप से यह अलग-अलग आकार ले सकता है, विशेष रूप से, बढ़ती अर्थव्यवस्था में। उदाहरण के लिए नई इकाइयों के लिए कर अवकाश, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

सीमित अवधि के लिए वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए कर की रियायती दर या

विशिष्ट उद्देश्य आदि के साथ। यही कारण है कि इसके निर्माण, चार्जिंग प्रावधान के विपरीत, अलग-अलग टचस्टोन पर परीक्षण किया जाना है। में।

वास्तव में छूट का प्रावधान एक अपवाद की तरह है और कानूनों के निर्माण या व्याख्या के सामान्य सिद्धांत पर इसका सख्ती से या तो विधायी इरादे या असमान बोझ के आर्थिक औचित्य या राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से राजकोषीय प्रावधानों के प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण अर्थ लगाया जाता है। लेकिन एक बार अपवाद या छूट लागू हो जाने के बाद किसी भी नियम या सिद्धांत के लिए इसका सख्ती से अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में एक छूट प्रावधान के उदार और सख्त निर्माण को इसकी व्याख्या के विभिन्न चरणों में लागू किया जाना है। जब सवाल यह होता है कि क्या कोई विषय अधिसूचना में आता है या छूट खंड में आता है, तो इसे अपवाद की प्रकृति में होने के कारण सख्ती से और विषय के खिलाफ माना जाना चाहिए, लेकिन एक बार जब अस्पष्टता या प्रयोज्यता के बारे में संदेह हटा दिया जाता है और विषय अधिसूचना में आ जाता है तो इसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और यह एक व्यापक और उदार निर्माण की मांग करता है। इसलिए, पहला अभ्यास जो किया जाना है वह यह है कि कारखाने में पैकिंग और रैपिंग सामग्री का उत्पादन जैसा कि 1964 से पहले मौजूद था, अधिसूचना में शामिल है।

15. कानून के इस कथन का कई निर्णयों में पालन किया गया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि स्टार इंडस्ट्रीज बनाम। कॉम. सीमा शुल्क (आयात) (2016) 2 एस. सी. सी. 362 में, एक ही प्रस्ताव के लिए बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख किया गया है (पैराग्राफ 32 से 34 देखें)।

16. हालाँकि, प्राधिकरण की एक और रेखा है जिसमें कहा गया है कि कर कानूनों में भी, छूट के प्रावधान को उस उद्देश्य के अनुसार उदारता से समझा जाना चाहिए जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए यदि ऐसा प्रावधान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना है या अन्यथा इसके पीछे कोई लाभकारी कारण है। ऐसे मामलों में, वुड पेपर्स (उपरोक्त) के बाद के निर्णयों का तर्क लागू नहीं होता है। वास्तव में, विधायी इरादा कर के साथ विषय पर बोझ डालना नहीं है ताकि कुछ विशिष्ट जनता

रुचि आगे बढ़ती है। इस प्रकार, सी. एस. टी. v. औद्योगिक कोयला उद्यम (1999) 2 एस. सी. सी. 607, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 11. सी. आई. टी. वी. में स्ट्रा बोर्ड एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड 1989 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 523 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कर विधियों में, कर की रियायती दर के प्रावधान का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसी तरह बजाज टेंपो लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (1992) 3 एस. सी. सी. 78 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केरल और ए. एन. आर. पर कर लगाने में आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान।

वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विधियों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए और अपवाद के रूप में उन पर लगाए गए प्रतिबंधों का अर्थ उचित और उचित समझा जाना चाहिए।

उद्देश्यपूर्ण तरीका ताकि प्रावधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।

12. हम पाते हैं कि भुगतान से छूट देने का उद्देश्य

बिक्री कर का उपयोग हमेशा पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

राज्य में वस्तुओं का उत्पादन और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना। यदि बजाज टेम्पो लिमिटेड मामले (1992) 3 एस. सी. सी. 78 में निर्धारित परीक्षण लागू किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी को 9-8-1985 से दी गई छूट जब उसने सभी शर्तों को पूरा किया। निर्धारित शर्तें केवल इसलिए काम करना बंद नहीं करेंगी क्योंकि प्रत्यर्थी के भूमि और भवन का मालिक बनने के कारण पूंजी निवेश 3 लाख रुपये की सीमा को पार कर गया था, जिसमें इकाई को स्थानांतरित किया गया था। यदि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो छूट देने का उद्देश्य और उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। आखिरकार, प्रतिवादी ने इकाई को केवल अपने परिसर में स्थानांतरित कर दिया था जिसने इसे और अधिक बना दिया था।

उत्तरदाता के लिए उत्पादन जारी रखना सुविधाजनक और आसान है।

पट्टेदार की अनियमितताओं से अबाधित और अपनी आय का एक हिस्सा किराए पर खर्च करने की आवश्यकता के बिना माल का। ऐसा नहीं है कि

अपीलार्थी का मामला कि प्रत्यर्थी की ओर से पहली बार में 3 लाख रुपये से कम के पूंजी निवेश वाली इकाई के रूप में छूट प्राप्त करने और बाद में किसी भी संबंधित क़ानून के प्रावधानों को विफल करने की दृष्टि से पूंजी निवेश को 3 लाख रुपये से अधिक की राशि तक बढ़ाने में कोई दुर्भावना थी। प्रत्यर्थी की ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया है

अपीलार्थी "।

17. इसी तरह, झारखंड राज्य में v. टाटा कमिंस लिमिटेड

5) 4 एस. सी. सी. 57 ने एक उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए कर छूट से निपटने में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 16. अधिसूचनाओं के साथ पढ़ी गई उपरोक्त नीति का विश्लेषण करने से पहले, "कर" शब्द के अर्थ को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कर सामान्य राजस्व बढ़ाने के लिए एक भुगतान है। यह एक बोझ है। यह है।

भुगतान करने की क्षमता या क्षमता के सिद्धांत पर आधारित। यह एक राज्य की कर लगाने की शक्ति की अभिव्यक्ति। एक छूट

एक अधिनियम के तहत कर के भुगतान से कर देयता से छूट है। इसलिए ऐसी प्रत्येक छूट अधिसूचना को सख्ती से पढ़ना होगा। हालाँकि, जब किसी निर्धारिती को [2021] 3 एस. सी. आर. देने का वादा किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

औद्योगिक नीति के एक शब्द के रूप में पिछड़े क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करने के लिए कर छूट, हमें औद्योगिक नीति के संदर्भ में कार्यान्वयन अधिसूचनाओं को पढ़ना होगा। ऐसे में, छूट अधिसूचनाओं को औद्योगिक नीति द्वारा परिकल्पित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उदारता से पढ़ा जाना चाहिए न कि सख्त अर्थों में जैसा कि कर देयता से छूट के मामले में होता है।

कराधान कानून "।

18. इसी तरह, पांडिचेरी राज्य सहकारी समिति में। उपभोक्ता

राशन लिमिटेड v. केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी (2008) 1 एस. सी. सी.

उनके न्यायालय ने फैसला सुनाया कि:

" 5. अपीलार्थी निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेंकटरमण ने प्रस्तुत किया कि यह प्रश्न अब एकीकृत नहीं है और वाडिलाल केमिकल्स लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है। ए. पी. राज्य (2005) 6 एस. सी. सी. 292 यह इंगित किया गया था कि उस मामले में एक समान प्रश्न समान परिस्थितियों में विचार के लिए आया था। वहाँ भी सवाल था कि क्या छोटे पैमाने का उद्योग जो बॉटलिंग में लगा हुआ था निर्जल अमोनिया को इस आधार पर बिक्री कर के भुगतान से छूट का हकदार कहा जा सकता है कि वह ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रहा था क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जीओएम संख्या 117 दिनांक 17-3-1993 द्वारा लघु उद्योग को एक सामान्य छूट दी गई थी। वहाँ निरीक्षण पर यह भी पाया गया कि निर्धारिती उद्योग को निर्जल द्रवीकृत अमोनिया की पहली बिक्री पर अनियमित कर छूट की अनुमति दी गई थी क्योंकि यह पाया गया था कि जो वस्तु खरीदी और बेची गई थी वह उसी में से एक थी और कोई नई वस्तु सामने नहीं आई थी और निर्धारिती ने केवल अमोनिया की बॉटलिंग की थी। उस मामले में निर्धारिती को कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए थे जिसमें सुझाव दिया गया था कि इकाई में गैसों की बॉटलिंग/पैकिंग की गतिविधि

थोक मात्रा के पात्रों की पहचान नहीं की गई थी

" केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत भी "निर्माण"। उस दृष्टिकोण से इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या इन परिस्थितियों में निर्धारिती छूट का दावा कर सकता है। इस न्यायालय ने सबसे पहले यह निर्णय दिया कि छूट प्रमाण पत्र अधिकारियों द्वारा उचित विचार के बाद दिया गया था। यह तब नोट किया गया था कि हालांकि छूट औद्योगिक इकाइयों में "निर्मित" उत्पादों पर उपलब्ध थी, व्याख्या द्वारा आगे रखी गई थी "निर्माण" शब्द पर अधिकारी गलत थे।

केरल और ए. एन. आर. का यह संस्करण। वी. मदर सुपरियर एडरेशन कन्वेंशन [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अदालत ने यह विचार रखा कि अधिकारियों ने उत्पाद शुल्क से संबंधित कानून पर "निर्माण" शब्द की व्याख्या को आधारित किया था और ऐसा करना गलत था। यह देखा गया कि राज्य की बिक्री में

कर अधिनियम में "निर्माण" से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था और यह अवधारणा केवल 1993 के जी. ओ. में पाई जानी थी। जिसने छूट प्रदान की थी। न्यायालय ने आगे यह विचार व्यक्त किया कि यह छूट राज्य में उद्योग और राज्य की औद्योगिक इकाइयों को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई थी। इसलिए, न्यायालय का विचार था कि "निर्माण" शब्द की एक उदार व्याख्या को राज्य के अधिकारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए था। विशेष रूप से, जब राज्य के अधिकारियों ने तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद पात्रता का प्रमाण पत्र प्रदान किया था।

6. हमारे विचार में इस निर्णय में निर्धारित कानून वर्तमान मामले पर सभी चार मामलों में लागू होता है। यहाँ भी अधिकारियों ने सबसे पहले निर्धारिती के उद्योग को लघु उद्योग के रूप में प्रमाणित किया था और फिर उसे निर्मित वस्तुओं पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देने के लिए आगे बढ़े थे। उक्त प्रमाणपत्र को गलत तरीके से जारी नहीं किया गया था और जब उस पर कारणदर्शक नोटिस जारी किए जाने लगे तो यह बहुत प्रचलन में था।

मूल्यांकनकर्ता। छूट प्रदान करने वाले जी. ओ. ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि ऐसी छूट जनहित में दी गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि वाडिलाल केमिकल्स मामले (2005) 6 एससीसी में निर्णय

292 यह समान रूप से लागू होगा क्योंकि उस मामले में भी उद्योग ने थोक में खरीदी गई अमोनिया गैस को बोतल में डाल दिया था। वर्तमान मामले में यह पामोलिव तेल है जिसे थोक में खरीदा जाता है और इसे फिर से पैक किया जाता है ताकि खुदरा बाजार में इसकी बिक्री को सुविधाजनक बनाया जा सके।

7. केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी. एल. वी. अय्यर ने हालांकि यह सुझाव देने की कोशिश की कि आई. डी. 1 पर दी गई कर के भुगतान से छूट उद्योग निदेशक द्वारा दी गई थी और उस छूट से यह स्पष्ट था कि यह केवल जी. ओ. एम. संख्या आई. डी. 2 दिनांक आई. डी. 3> 1974 के आधार पर थी। उपरोक्त जी. ओ. दिनांकित 19-5-1989 की अंतिम पंक्तियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। अंतिम भाग इस प्रकार है:

" इकाई को जी. ओ. एम. संख्या 15/74/एफ. आई. एन. (सी. टी.) दिनांक 25-6-1974 के अनुसार पांच साल के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई है।

इस पर विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि, इसलिए, यह साबित करना होगा कि माल का निर्माण निर्धारिती [2021] 3 एस. सी. आर. द्वारा किया गया था।

और वर्तमान मामले में चूंकि पामोलिव तेल ने निर्धारिती द्वारा फिर से पैक किए जाने पर अपने चरित्र को नहीं बदला, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने किसी भी वस्तु का निर्माण किया था। विद्वान वकील यह भी आग्रह करते हैं कि बिक्री कर अधिनियम में "निर्मित वस्तुओं" की किसी भी परिभाषा के अभाव में, हमें या तो शब्दकोष के अर्थ पर वापस जाना होगा या इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम से उधार लेना होगा। हमें डर है कि इस द्वारा निर्धारित स्पष्ट कानून के मद्देनजर विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वादिलाल केमिकल्स मामले (2005) 6 एस. सी. सी. 292 में न्यायालय। हमारे पास है।

यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि उस मामले में निर्णय वर्तमान स्थिति पर कैसे लागू होता है। इस दृष्टिकोण से हमारी स्पष्ट राय है कि चूंकि वर्तमान मामले में उद्योग निदेशक के साथ पंजीकृत सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई थी और चूंकि निर्धारिती को एक छोटी औद्योगिक इकाई के रूप में मान्यता और प्रमाणित किया गया था, जो खाद्य तेल की पुनः पैकिंग की गतिविधि में लगा हुआ था और इसके अलावा जब से छूट खुली आंखों से दी गई थी

इस विशेष उद्योग के लिए, राज्य को यह रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि अपीलकर्ता निर्धारिती इस आधार पर छूट का हकदार नहीं था कि उसने किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया था। हम वादीलाल में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

रसायन मामला (2005) 6 एस. सी. सी. 292 जो उस निर्णय के पैरा 19 और 20 में अधिक विशेष रूप से परिलक्षित होता है जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: (एस. सी. सी पी. 298, पैरा 20)

" 20. इस मामले में राज्य बिक्री कर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

'निर्माण' से संबंधित। यह अवधारणा केवल वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा जारी 1993 के जी. ओ. में पाई जाती है।

उद्योग. 1993 के जी. ओ. के अन्य प्रावधानों के संदर्भ से यह प्रतीत होता है कि 'निर्माण' शब्द का उपयोग उन विक्रेताओं को बाहर करने के लिए किया गया था जिन्होंने केवल माल खरीदा था और उसे खुदरा मूल्य पर फिर से बेचा था। राज्य सरकार निवेश और औद्योगिक गतिविधि चाहती थी। इसी पृष्ठभूमि में 1993 के जी. ओ. की व्याख्या की जानी चाहिए। (सी. एस. टी. वी. देखें। औद्योगिक कोयला उद्यम (1999) 2 एससीसी 607)। यह छूट 1993 के जी. ओ. के संदर्भ में दी गई थी, जिसका जोर राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाना था।

8. हम सम्मानपूर्वक उपरोक्त टिप्पणियों से सहमत हैं और करेंगे अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करते हुए एक ही दृष्टिकोण रखना चुनें कि जी. ओ. एम. सं. 15/74 दिनांक 25-6-1974 केरला और ए. एन. आर. की नियुक्ति का एक उदार दृष्टिकोण।

लेना होगा। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं,

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया और उसे बहाल किया गया

न्यायाधिकरण लेकिन लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

19. बिक्री कर कानून में छूट का अर्थ लगाते हुए, यह न्यायालय एस. टी. बनाम. अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड (2009) 8 एस. सी. सी. 209 आयोजितः

" 21. एक छूट अधिसूचना को एक साहित्यिक (शाब्दिक) अर्थ दिया जाना चाहिए। कानून की व्याख्या के अन्य सिद्धांतों या सिद्धांतों का सहारा केवल उसी स्थिति में लिया जाना चाहिए जब वे विसंगति या बेतुकेपन को जन्म देते हैं। छूट अधिसूचना का अर्थ उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जो वह चाहता है

हासिल करें। सरकार ने उद्योग में वृद्धि की मांग की

राज्य में विकास। राज्य की ओर से इस तरह के परोपकारी कार्य को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए, जब तक कि कोई वैधानिक हस्तक्षेप मौजूद न हो। (वाडीलाल केमिकल्स लिमिटेड बनाम देखें। ए. पी. राज्य (2005) 6

एससीसी 292) "

20. इसी तरह, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत भी, इस न्यायालय ने आदेश में कहा। ustoms (निवारक) v. एम. अंबालाल एंड कंपनी (2011) 2 एस. सी. सी. 74 उन छूटों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जिन्हें कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाभकारी छूट के विपरीत सख्ती से प्रस्तुत किया जाना है। यह मामला सम्मानपूर्वक

ई कानून इस प्रकार हैः

" 16. यह तय कानून है कि अधिसूचना को समग्र रूप से पढ़ना होगा। यदि अधिसूचना में निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो पार्टी उस अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं है। छूट के संबंध में नियम यह है कि छूट आम तौर पर सख्ती से दी जानी चाहिए।

व्याख्या की गई लेकिन लाभकारी छूट जिनका उद्देश्य इस प्रकार है कुछ गतिविधियों को प्रोत्साहन या बढ़ावा उदारता से दिया जाना चाहिए।

व्याख्या की। यह समग्र नियम किसी विशेष में नहीं कहा गया है।

इतने सारे शब्दों में निर्णय। वास्तव में, अधिकांश निर्णय

इस बात पर जोर दें कि छूटों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए, जबकि उनमें से कुछ इस बात पर जोर देते हैं कि राजकोषीय कानूनों में छूटों की उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो कि वे हैं।

एक-दूसरे के विपरीत। लेकिन यह केवल स्पष्ट है। एक बारीकी से जांच से पता चलेगा कि निर्णयों के बीच कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं है। विचारों का संश्लेषण काफी स्पष्ट है कि सामान्य नियम सख्त व्याख्या है जबकि विशेष नियम में

लाभकारी और प्रचार छूट का मामला उदार है [2021] 3 एस. सी. आर.

व्याख्या। दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से चलते हैं क्योंकि

वे परिस्थितियों के दो अलग-अलग समूहों से संबंधित हैं।

21. इस निर्णय का पालन सी. सी. ई. v. में किया गया था। पसंदीदा उद्योग (2012) 7 एस. सी. सी. 153 (पैराग्राफ 42 देखें)।

22. श्री गुप्ता ने कमिश्नर में हाल ही में 5-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया था। सीमा शुल्क बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एससीसी 1. 5.

न्यायाधीश पीठ की स्थापना सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम में 3-न्यायाधीश पीठ के रूप में की गई थी। सीमा शुल्क कलेक्टर 1997 (6) एस. सी. सी. 564 पर संदेह था, क्योंकि उक्त निर्णय में कहा गया था कि कर छूट के प्रावधान में अस्पष्टता की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इस तरह की छूट का लाभ लेने का दावा करने वाले निर्धारिती का पक्ष लिया जा सके। इस न्यायालय ने कर कानूनों में छूट के प्रावधानों से संबंधित कई निर्णयों पर विचार करने के बाद अंततः निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" 66. संक्षेप में, हम संदर्भ धारण का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

66.1 . छूट अधिसूचना की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए; प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर यह दिखाने के लिए होगा कि उसका मामला छूट खंड के मापदंडों के भीतर आता है।

या छूट अधिसूचना।

66.2 . जब छूट अधिसूचना में अस्पष्टता होती है जो सख्त व्याख्या के अधीन होती है, तो इस तरह की अस्पष्टता का लाभ विषय/निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है और इसकी व्याख्या निम्न में की जानी चाहिए:

राजस्व का लाभ।

66.3 . सन एक्सपोर्ट के मामले में अनुपात [सन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी. सीमा शुल्क कलेक्टर, (1997) 6 एस. सी. सी. 564] सही नहीं है और सन एक्सपोर्ट मामले में समान दृष्टिकोण रखने वाले सभी निर्णय खारिज कर दिए गए हैं।"

23. यह ध्यान दिया जा सकता है कि 5-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में प्राधिकरण की उस रेखा का उल्लेख नहीं किया गया था जिसमें आम तौर पर छूट के प्रावधानों और छूट के प्रावधानों के बीच अंतर किया गया था जिनका एक लाभकारी उद्देश्य है। हम श्री गुप्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते हैं कि उप-मौन निर्णयों की पंक्ति जिसमें लाभकारी छूट शामिल है, को हटा दिया गया है

इस 5-न्यायाधीश पीठ के साथ। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह क्या तय करता है और न कि इससे तार्किक रूप से क्या हो सकता है (क्विन वी देखें। लीथेम [1901] ए. सी. 495 जैसा कि उड़ीसा राज्य में अनुसरण किया जाता है वी. सुधांशु शेखर मिश्रा (1968) 2 एस. सी. आर. 154 पर 162,163)

24. इस मामले में, यह स्पष्ट है कि धारा 3 (1) (बी) में निहित छूट के लाभकारी उद्देश्य को केरल और ए. एन. आर. सरकार को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

प्राधिकरण की रेखा इन मामलों के तथ्यों पर लागू होती है जो प्राधिकरण की रेखा होती है जो आम तौर पर कर कानूनों में छूट के विपरीत लाभकारी छूटों से संबंधित होती है। यह मामला होने के कारण, क़ानून की एक शाब्दिक औपचारिक व्याख्या को छोड़ दिया जाना चाहिए। हमें पहले खुद से पूछना चाहिए कि प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य क्या है, और ऐसे उद्देश्य के अनुसार क़ानून का अर्थ निकालना चाहिए। और इस धारणा पर कि इस तरह के निर्माण में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, ऐसी अस्पष्टता उस के पक्ष में होनी चाहिए जिसे छूट दी गई है। नतीजतन, हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए, हम खंड पीठ और पूर्ण पीठ के विवादित निर्णयों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सहमत हैं। 25.इस मामले को थोड़े अलग कोण से भी देखा जा सकता है। जहाँ कोई उच्च न्यायालय किसी स्थानीय क़ानून का अर्थ लगाता है, वहाँ इस तरह के क़ानून की व्याख्या करने में उच्च न्यायालय के फैसलों को सामान्य रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हों (देखें गुजरात राज्य बनाम। जिनाभाई रणछोड़जी दर्जी (1972) 1 एस. सी. सी. 233 पैराग्राफ 10 पर, बिशंबर दास कोहली बनाम। सत्य भल्ला (1993) 1 एस. सी. सी. 566 पैराग्राफ में

11 , डचूरोफ्लेक्स कॉयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी. एस. टी. 1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 568 पैरा 2 पर, कर्नाटक राज्य बनाम। जी. सीनप्पा 1993 सप्लीमेंट (1) पैराग्राफ 3 पर एस. सी. सी. 648 और बोनाम सत्यवती बनाम। अडाला राघवुलु 1994 परिशिष्ट (2) पैराग्राफ 4 पर एस. सी. सी. 556)। यह कर कानूनों के मामले में अधिक लागू होता है जहां व्यक्ति अपने मामलों को कानूनी स्थिति के आधार पर व्यवस्थित करते हैं।

26. नतीजतन, केरल राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। 2012 की सिविल अपील No.204 में दायर अपील को अनुमति दी जाती है और डिवीजन बेंच के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।